

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 3657

ANSWERED ON MONDAY, 11 AUGUST, 2025/ SRAVANA 20, 1947 (SAKA)

OLD PENSION SCHEME FOR PSUS AND PSBS

3657. DR. DHARAMVIRA GANDHI

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

- (a) whether the Government has decided to extend the benefit of the Old Pension Scheme (OPS) to those Government employees whose appointment was made after 1 January 2004, but whose recruitment process/advertisement was initiated before 1 January 2004, if so, the details thereof;
- (b) whether the Government proposes to implement similar comprehensive provisions for employees of public sector undertakings and Public Sector Banks; and
- (c) whether the Government ensures that all the employees of the State Bank of India whose recruitment process (such as advertisement or examination) was conducted before 1 August 2010, but whose appointments were delayed due to unavoidable circumstances and took place after 1 August 2010 are also included in the Old Pension?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR FINANCE
(SHRI PANKAJ CHAUDHARY)

(a) & (b) In light of various Court judgments, the Government had issued instructions vide OM No. 57/05/2021-P&PW(B) dated 03.03.2023, giving one-time option to those Central Government civil employees for inclusion under the CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021) who have been appointed against the posts or vacancies which were advertised/notified for recruitment/appointment prior to date of issuing of notification of National Pension System i.e. 22.12.2003. Further, there is no such proposal under consideration in Ministry of Finance for Public Sector Undertakings and Public Sector Banks.

(c) As per the State Bank of India Employees' Pension Fund Regulations, 2014, the old pension will not be applicable to those who joined the services of SBI on or after 01.08.2010.

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3657

जिसका उत्तर सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए पुरानी पेंशन योजना

3657. डॉ. धर्मवीर गांधी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ देने का निर्णय लिया है जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई थी, लेकिन जिनकी भर्ती प्रक्रिया/विज्ञापन 1 जनवरी 2004 से पहले शुरू किया गया था और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए समान व्यापक प्रावधान लागू करने का विचार रखती है; और
- (ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करती है कि भारतीय स्टेट बैंक के सभी कर्मचारी जिनकी भर्ती प्रक्रिया (जैसे विज्ञापन या परीक्षा) 1 अगस्त 2010 से पहले आयोजित की गई थी, लेकिन जिनकी नियुक्ति अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण विलंबित हुई और 1 अगस्त 2010 के बाद हुई, उन्हें भी पुरानी पेंशन में शामिल किया जाए?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख) : विभिन्न न्यायालयीन निर्णयों के आलोक में, सरकार ने दिनांक 03.03.2023 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 57/05/2021-पी एवं पीडब्लू (ख) के माध्यम से निर्देश जारी किए थे, जिसमें केंद्र सरकार के उन सिविल कर्मचारियों को सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 (अब वर्ष 2021) के अंतर्गत शामिल होने का एकमुश्त विकल्प दिया गया था, जिन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना जारी होने से पहले अर्थात् दिनांक 22.12.2003 को भर्ती/नियुक्ति के लिए विज्ञापित/अधिसूचित पदों या रिक्तियों पर नियुक्त किया गया था। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए वित्त मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग): भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि विनियम, 2014 के अनुसार, पुरानी पेंशन उन लोगों पर लागू नहीं होगी जो दिनांक 01.08.2010 को या उसके बाद एसबीआई की सेवाओं में शामिल हुए थे।
